संख्या-35/2026/I/1223274/2026/23-6099/46/2026

प्रेषक,

सुभाष राम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक : 02 फरवरी, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत वाराणसी क्षेत्र के 11 मार्गों की व्यपगत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-9910/बी0जी0/7बी0(लैप्स)/2025-26, दिनांक 23.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वाराणसी क्षेत्र के मार्गों के निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि की आंशिक धनराशि व्यपगत (लैप्स) हो जाने के दृष्टिगत उक्त धनराशि का पुन: आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम-3 में अंकित कार्यों की प्रथम किश्त की आंशिक धनराशि लैप्स/व्यपगत हो गयी है, के सापेक्ष मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी के प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त मार्गों की व्यपगत कुल धनराशि रू0 228.90 लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठाइस लाख नब्बे हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन पुन: अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत / प्राविधिक कार्य की लागत	शासनादेश में अवमुक्त धनराशि (प्रथम किश्त)	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय	व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुन: आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा0ख0 वाराणसी	सारनाथ में सारनाथ इनक्लेव से रतन पटेल के घर तक दक्षिणी डीह बाबमंदिर होते हुए विनोद पाण्डेय के मकान तक।	53/2025/ 1485 /23-6099 (099)/ 277/ 2024, दिनांक 05.02.2025	45.06	22.53	0.53	22.00	22.00
2	प्रा0ख0 वाराणसी	जाल्हूपुर बलुआ मार्ग सम्भुआबीर बाबा से भदिवाँ (अमौली) राजभर बस्ती से स्व० मुखराम सिंह के घर तक।	तदैव	49.27	24.64	0.58	24.06	24.06
3	प्रा0ख0 वाराणसी	जनपद वाराणसी में वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर ग्राम पर ग्राम उमरहा से नवग्रहमंदिर सम्पर्क मार्ग।	तदैव	23.10	11.55	0.27	11.28	11.28
4	प्रा0ख0 वाराणसी	वाराणसी गाजीपुर मार्ग के पास उमरहा ग्राम के कैलाश चन्द्र के घर से रविदास मंदिर तक मार्ग का निर्माण कार्य।	तदैव	34.19	17.10	0.41	16.69	16.69
5	प्रा0ख0 वाराणसी	नक्छेदपुर से नट बस्ती तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	तदैव	47.72	23.86	0.56	23.30	23.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	प्रा0ख0 वाराणसी	बमोखर सराय तक्की मार्ग का नव निर्माण कार्य।	तदैव	47.63	23.82	0.56	23.26	23.26
7	प्रा0ख0 वाराणसी	धरसौना सिन्धौरा मार्ग से राजभर बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	तदैव	34.71	17.36	0.71	16.65	16.65
8	प्रा0ख0 वाराणसी	सिन्धौरा मवैया मार्ग से चौबान बस्ती मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	तदैव	39.84	19.92	0.47	19.45	19.45
9	प्रा0ख0 वाराणसी	बाबतपुर चौबेपुर (एस०एच०-98) के कि०मी०-52 से मोहाँव हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० मार्ग का नव निर्माण कार्य।	तदैव	28.95	14.48	0.35	14.13	14.13
10	प्रा0ख0 वाराणसी	अटेसुआ मोड से नरायनपुर मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	तदैव	51.66	25.83	0.61	25.22	25.22
11	प्रा0ख0 वाराणसी	आयर शारदा नहर से दीक्षितान सम्पर्क मार्ग।	तदैव	66.94	33.47	0.61	32.86	32.86
कुल योग								**228.90**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) मार्ग की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाये और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त तालिका में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(7) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,28,90,000 (रुपये दो करोड़ अट्ठाईस लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।